



राजस्थान सरकार

कार्यालय नगर विकास न्यास, चित्तौड़गढ़ (राज.)

E-mail :- uitchittorgarh@gmail.com

Phone : 01472-251055

क्रमांक / तकनीकी / 2018-19 / 3599

दिनांक :- 4-12-2019

निमित्त,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी,
एफ.सी.ए., राज. जयपुर।

विषय:- Diversion of 1.74 hect. forest land in favour of urban improvement Trust, Chittorgarh, Rajasthan for Widening, strengthening, & Re-construction of Road from Delhi gate NH-79 Via Manpura / Gapalpura Chittorgarh, Rajasthan.

सन्दर्भ:- भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य)
अलिगंज लखनऊ के पत्रांक:-8B/RAJ/06/06/2019/FC/411, दिनांक 15.11.2019

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत पत्र के क्रम में निवेदन है कि वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) अलिगंज लखनऊ द्वारा उक्त रोड़ के निर्माण में आने वाली 1.74 हैक्ट. वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रस्ताव के संदर्भ में कुछ आक्षेप लगाये गये थे जिनकी बिन्दुवार पालना रिपोर्ट आपके सुलभ सन्दर्भ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

बिन्दुवार पालना रिपोर्ट

क्र.सं.	आक्षेप	पालना
1.	वर्तमान सड़क 1980 से पूर्व से प्रचलित है। इस सन्दर्भ में प्रमाण पत्र फोटो प्रतिलिपि में उपलब्ध करवाया गया था अतः मूल प्रति भिजवाये।	1980 से पूर्व से प्रचलित होने का प्रमाण पत्र सहवन से कही रखने में आ गया है जो प्राप्त नहीं हो रहा है। अतः उक्त प्रमाण-पत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न है।
2.	प्रेषित वन प्रत्यावर्तन प्रस्ताव में वर्तमान सड़क के क्षेत्र को भी सम्मिलित किया गया है। अतः वर्तमान सड़क के क्षेत्रफल को सम्मिलित करने का कारण स्पष्ट करें।	उक्त प्रस्ताव वर्तमान रोड़ का सुदृढीकरण एवं चौड़ाई करने के लिए प्रेषित किया गया है एवं पूर्व में वर्तमान रोड़ का प्रत्यावर्तन नहीं करवाया गया है। वर्तमान सड़क के क्षेत्र में भी सुदृढीकरण का कार्य किया जाना प्रस्तावित है। अतः वर्तमान सड़क के क्षेत्रफल को भी प्रत्यावर्तन प्रस्ताव में सम्मिलित किया गया है।

प्रतिलिपि :

उप वन संरक्षक, चित्तौड़गढ़

भवदीय

4/12/19
अधिशायी अभियन्ता
(महेन्द्र प्रकाश व्यास)
नगर विकास न्यास
चित्तौड़गढ़

कार्यालय तहसीलदार चित्तौड़गढ़ (राज.)

क्रमांक / 1865

दिनांक - 15.11.17

सविब
नगर विकास न्यास
चित्तौड़गढ़

विषय - शहरी जन सहभागिता योजना के अन्तर्गत (C.S.R) देहली गेट से एन.एच. 79 वाया मानपुरा सड़क चौड़ी करना एवं हामरीकरण के कार्य हेतु उक्त सड़क वर्ष 1980 से पूर्व की निर्मित होने का प्रमाण पत्र जारी कराने बाबत।

प्रमाण - श्रीमान सविब महोदय नगर विकास न्यास, चित्तौड़गढ़ के पत्रांक 3346 दिनांक 14.11.2017 के सदर हैं।

महोदय,

उपरोक्त प्रासंगिक विषयान्तर्गत निवेदन है कि नगर विकास न्यास द्वारा देहली गेट से N.H. 79 वाया मानपुरा सड़क को चौड़ी करने हेतु उक्त सड़क वर्ष 1980 से पूर्व की निर्मित होकर वर्तमान में बालू है का प्रमाण पत्र पूर्व में श्रीमान द्वारा जारी किया गया। वन विभाग द्वारा उसमें आपत्ति बतायी गयी है। अतः मुख्य वन संरक्षक उदयपुर द्वारा की गयी आपत्ति का निराकरण कर प्रमाण पत्र श्रीमान को प्रतिहस्ताक्षर कर जारी कराने हेतु पत्र है।

प्रमाण- पत्र

पटवारी हल्का चित्तौड़गढ़ एवं मानपुरा की रिपोर्ट के आधार पर एवं मेरे स्वयं मौका निरीक्षण पर्याप्त यह प्रमाणित किया जाता है कि देहली गेट से एन.एच. 79 वाया मानपुरा सड़क वर्ष 1980 से पूर्व की बनी हुई होकर वर्तमान में मौक पर बालू है।

आज दिनांक 15.11.2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं मोहर कार्यालय से यह प्रमाण पत्र जारी किया गया।

प्रतिहस्ताक्षर

(मुद्रा सहित)
उपस्थित अधिकारी
चित्तौड़गढ़

मिलान किया

अधिसायी अधिवन्ता
नगर विकास न्यास
चित्तौड़गढ़ (राज.)

तहसीलदार
चित्तौड़गढ़

फोटो प्रतिलिपि

तहसीलदार
चित्तौड़गढ़ (राज.)

कार्यालय तहसीलदार चित्तौड़गढ़-(राज.)

दिनांक - 15.11.17

क्रमांक / 165

सचिव
नगर विकास न्यास
चित्तौड़गढ़

विषय :- शहरी जन सहभागिता योजना के अन्तर्गत (C.S.R) देहली गेट से एन.एच 79 वाया मानपुरा सड़क चौड़ी करना एवं डानरीकरण के कार्य हेतु उक्त सड़क वर्ष 1980 से पूर्व की निर्मित होने का प्रमाण पत्र जारी कराने बाबत।

प्रसंग :- श्रीमान् सचिव महोदय नगर विकास न्यास, चित्तौड़गढ़ के पत्रांक 3346 दिनांक 14.11.2017 के संदर्भ में।

महोदय,

उपरोक्त प्रासंगिक विषयान्तर्गत निवेदन है कि नगर विकास न्यास द्वारा देहली गेट से N.H. 79 वाया मानपुरा सड़क को चौड़ी करने हेतु उक्त सड़क वर्ष 1980 से पूर्व की निर्मित होकर वर्तमान में चालू है का प्रस्ताव पत्र पूर्व में श्रीमान् द्वारा जारी किया गया। वन विभाग द्वारा उसमें आपत्ति बतायी गयी है। अतः मुख्य वन संरक्षक उदयपुर द्वारा की गयी आपत्ति का निराकरण कर प्रमाण पत्र श्रीमान् को प्रतिहस्ताक्षर कर जारी कराने हेतु पेश है।

प्रमाण- पत्र

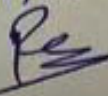
पटवारी हल्का चित्तौड़गढ़ एवं मानपुरा की रिपोर्ट के आधार पर एवं मेरे स्वयं मौका निरीक्षण पर्याप्त यह प्रमाणित किया जाता है कि देहली गेट से एन.एच. 79 वाया मानपुरा सड़क वर्ष 1980 से पूर्व की बनी हुई होकर वर्तमान में मौके पर चालू है।

आज दिनांक 15.11.2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं मोहर कार्यालय से यह प्रमाण पत्र जारी किया गया।

प्रतिहस्ताक्षर

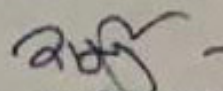


मिलान किया

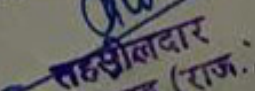


अधिसाधी अभियन्ता
नगर विकास न्यास
चित्तौड़गढ़ (राज.)




तहसीलदार
चित्तौड़गढ़

फोटो प्रतिलिपि


तहसीलदार
चित्तौड़गढ़ (राज.)

